



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2015-1212 दिनांक : 13/11/2015

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/  
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची/  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको टूरिज्म"  
(अन्य व्यय) के अंतर्गत कुल ₹0 700.00 लाख (सात करोड़ रुपये)  
मात्र का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-52/2015- 19/स्वी0 व0प0  
दिनांक 24.06.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-  
52/2015- 48/आ0 व0प0 दिनांक 06.07.2015 तथा संशोधित स्वीकृतिदेश  
संख्या 4/यो0बजट-52/2015- 45/स्वी0 व0प0 दिनांक 09.11.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य  
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन  
संरक्षण विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 46 "इको-टूरिज्म" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2015-16 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 700.00 लाख (सात करोड़  
रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101460103	420.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101460323	280.000
कुल :-		700.000

2. "इको-टूरिज्म" का विकास वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है।  
राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित  
प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों के मद्देनजर राज्य में इको टूरिज्म की अपार सम्भावनाएँ हैं।  
इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चयनित स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य  
किया जाना आवश्यक है। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से  
स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे साथ ही साथ राज्य सरकार को

आर्थिक विकास के लिए संसाधन राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अलावा इन स्थलों के विकास हेतु परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है ताकि आधुनिक आवश्यकता एवं पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में इको-टूरिज्म को विकसित किया जा सके।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनु0-1 पर वर्णित सभी पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने प्रमण्डलों/कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनु0-2 पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना का कोड संख्या- 19P240601101460103 एवं 19P240601101460323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा राज्य के विभिन्न इको-टूरिज्म स्थलों के विकास हेतु चयनित परामर्शियों के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) तैयार करवाकर सूक्ष्म स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन कराया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजना का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्ययन नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा के कम नहीं हो।

8. किये गये आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी मद के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना का कार्यान्वयन वन संरक्षण अधिनियम प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अथवा वन कार्य नियोजना के अंतर्गत Eco-Tourism Working Circle में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। यदि वन अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं/ प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक हो तो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय/ योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12. वन एवं पर्यावरण के संकल्प ज्ञापक 3916 दिनांक 23.09.2012 के आलोक में 50 लाख रुपये तक की अधिसीमा के अंतर्गत विभागीय रूप से कार्य कराये जा सकेंगे, इससे

(7)

अधिक लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा अथवा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार कराया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

14. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं०-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो०बजट-27/2015-1212 दिनांक-13/11/15

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / इनविस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानी वाली इको-टूरिज्म (अन्य व्यय)  
अन्तर्गत प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)					
क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	इको-टूरिज्म / स्थल का नाम	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, चन्द्र परियोजना, पलामू	बेतला	90.000	60.000	150.000
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल गिरिडीह	पारसनाथ	45.000	30.000	75.000
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल देवघर	त्रिकुट	45.000	30.000	75.000
4	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	दलमा	45.000	30.000	75.000
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	तिलैया	45.000	30.000	75.000
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	नेतरहाट	45.000	30.000	75.000
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	फासिल पार्क राज न्हल	45.000	30.000	75.000
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, राँची	राज्य में इको-टूरिज्म का प्रचार प्रसार कार्य एवं कन्सलटेंसी	30.000	20.000	50.000
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	कनहरी हिल, हजारीबाग	30.000	20.000	50.000
कुल राशि			420.000	280.000	700.000

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2015/1212

दिनांक - 13-Nov

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75811	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	9,000,000.00 रुपये नब्बे लाख
2	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75812	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,500,000.00 रुपये पैंतालीस लाख
3	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75813	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,500,000.00 रुपये पैंतालीस लाख

18,000,000.00

योग:

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अस्सी लाख

*(Signature)*  
(SHRI Y.K.SINGH CHAUDHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75814	JSRFOR002  KAMLESH PANDEY  DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	4,500,000.00  रुपये पैंतालीस लाख
5	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75815	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	4,500,000.00  रुपये पैंतालीस लाख
6	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75816	LDGFOR001  DR.KRISHNA DEO PRASAD SAHU DIV.FOREST OFFICER	4,500,000.00  रुपये पैंतालीस लाख
7	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75817	SBJFOR001  SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	4,500,000.00  रुपये पैंतालीस लाख

18,000,000.00

36,000,000.00

रुपये तीन करोड साहठ लाख

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75818	DRNFWL065  SRI SIDDHARTH TRIPATHI IFS. DFO.FOREST PUBICITY	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
9	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	75819	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
10	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75820	PLMFOR068  MAHALING  DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	6,000,000.00  रुपये साठ लाख
11	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75821	GRDFOR001  KUMAR ASHISH  DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,000,000.00  रुपये तीस लाख

योग:

15,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड दस लाख

51,000,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75822	DGRFORE88  MAMTA PRIYADARSHI  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
13	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75823	JSRFOR002  KAMLESH PANDEY  DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
14	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75824	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
15	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75825	LDGFOR001  DR.KRISHNA DEO PRASAD SAHU DIV.FOREST OFFICER	3,000,000.00  रुपये तीस लाख

योग:

12,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड तीस लाख

63,000,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADD: PCCF, DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
16	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75826	SBJFOR001  SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	3,000,000.00  रुपये तीस लाख
17	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75827	DRNFWL065  SRI SIDDHARTH TRIPATHI IFS. DFO.FOREST PUBICITY	2,000,000.00  रुपये बीस लाख
18	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	75828	HZBFWL009  SUSHIL SCREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	2,000,000.00  रुपये बीस लाख

योग:

7,000,000.00

क्रमिक योग

रुपये सात करोड

70,000,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDIPCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI